फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री छगनलाल चंदेल पिता श्री देवकिशन चंदेल निवासी अम्बिका चौक जलचक्की कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द।

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 84/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांकः एफ.1( )सू0अ0,05/प्र.अपील/2023/813–814 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2023 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत इस कार्यालय को 13.09.2023 व इस अनुभाग को 14.09.2023 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के सतर्कता अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग को पत्रांक 677–678 दिनांक 14.09.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 1944 दिनांक 03.10.2023 से उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वांछित सूचना इस अनुभाग को उपलब्ध करवायी गयी। तथा इस कार्यालय के पत्रांक 720 दिनांक 09.10.2023 से प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत नियमानुसार शुल्क राशि जमा कराने हेतु जरिये डाक से पत्र प्रेषित किया गया जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा स्वयं इस कार्यालय में दिनांक 13.10.2023 को उपस्थित होकर वांछित शुल्क राशि 06 पृष्ठ x 02 रूपये प्रति पृष्ठ = 12 रूपये राजकोष मे जमा करवायी गयी। इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के द्वारा प्रेषित सूचना की हस्ताक्षरित व अधिप्रमाणित प्रति प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध करवायी गयी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.12.2023 को उपस्थित	

न्यायालय जिला कलक्टर

होकर निवेदन किया कि श्रीमान मुझे जो दस्तावेज दिये गये है यह मेरे पास पहले से ही उपलब्ध थे तथा मुझे पालना रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवायी गयी इस प्रकार मुझे आधी--अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करवायी गयी।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई। लेकिन अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.12.2023 को उपस्थित होकर निवेदन किया कि श्रीमान मुझे जो दस्तावेज दिये गये है यह मेरे पास पहले से ही उपलब्ध थे तथा मुझे पालना रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध नहीं करवायी गयी। अतः लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को निदेर्शित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना से संबंधित पालना रिपोर्ट की प्रति नियमानुसार उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उपलब्ध करावें। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Bullo

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)